2012:CGHC:8135

<u>उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर</u>

<u>रिट याचिका क्रमांक 5168/1998</u>

श्री आई. लकड़ा

बनाम

म. प्र. राज्य एवं अन्य

<u>आदेश की उद्घोषणा हेतु 18/01/2012 को सूचीबद्ध करे।</u>

सही/–

टी.पी. शर्मा

न्यायमूर्ति

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

<u>उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर</u>

<u>रिट याचिका क्रमांक 5168/1998</u>

(आदेश हेतु 15-12-2011 को सुरक्षित)

<u>याचिकाकर्ता</u> : श्री आई. लकड़ा, पिता– श्री पी. लाकरा, आयु लगभग 38 वर्ष, भूतपूर्व सिविल जज वर्ग–II, निवासी मरिया नगर, खमहरदी, टंडन डेयरी के पीछे, रायपुर (म.प्र.) (अब छ.ग.)

बनाम

<u>उत्तरवादीगण</u> : 1. मध्यप्रदेश राज्य, द्वारा सचिव विधि विभाग ।

2. माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, द्वारा रजिस्ट्रार, जनरल जबलपुर ।

3. उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, द्वारा रजिस्ट्रार जनरल, बिलासपुर (छ.ग.) ।

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के अंतर्गत रिट याचिका)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

<u>उपस्थित</u> :

श्री पी. एस. कोशी, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता।

उत्तरवादी क्रमांक 1 की ओर से कोई उपस्थित नहीं। कोई प्रतिनिधित्व नहीं किया गया।

सुश्री शर्मिला सिंघई, उत्तरवादी क्रमांक 2 की अधिवक्ता।

श्री राजीव श्रीवास्तव, उत्तरवादी क्रमांक 3 के अधिवक्ता।

<u>एकल पीठ : माननीय श्री न्यायमूर्ति टी. पी. शर्मा</u>

<u>आदेश</u>

(दिनांक 18-01-2012)

1. भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के अंतर्गत दायर इस रिट याचिका द्वारा, याचिकाकर्ता उत्तरवादी क्रमांक 1 द्वारा पारित दिनांक 25-6-1998 को अपने सेवा से हटाए जाने के आदेश को निरस्त किए जाने की प्रार्थना करता है तथा परिणामी मौद्रिक लाभों सहित पुनःबहाली की मांग करता है।

2. याचिकाकर्ता का कथन है कि वह अनुसूचित जनजाति का सदस्य है तथा उत्तरवादी क्रमांक 1 द्वारा दिनांक 14-6-1990 के आदेश के अनुसार सिविल जज वर्ग–II के पद पर नियुक्त उसे किया गया था। वह अपने निष्कासन/बर्खास्तगी की तिथि तक पूर्ण ईमानदारी, निष्ठा एवं सत्यनिष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता रहा। उसका सेवा अभिलेख प्रशंसनीय रहा तथा उसके विरुद्ध कोई प्रतिकूल प्रविष्टि न तो उसे संप्रेषित की गई और न ही अवगत कराई गई। उसे सिविल जज वर्ग–II एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के रूप में दंतेवाड़ा में पदस्थ किया गया था।

3. याचिकाकर्ता के समक्ष चल रही न्यायिक कार्यवाही के दौरान, एक श्रीमती चंद्रिका नागवंशी, पत्नी–बाली नागवंशी, अपनी पुत्री कुमारी निशा नागवंशी के साथ, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 125 के अंतर्गत भरण-पोषण हेतु बाली नागवंशी के विरुद्ध एक आवेदन प्रस्तुत किया, जिसे विविध आपराधिक प्रकरण क्रमांक 8/95 के रूप में पंजीबद्ध किया गया। बाली नागवंशी को दिनांक 17-01-1995 को नोटिस जारी किए गए। दिनांक 06-03-1995 को श्रीमती चंद्रिका नागवंशी ने उक्त कार्यवाही में एक आवेदन प्रस्तुत कर यह आधार लेते हुए कि बाली नागवंशी नोटिस की तामीली से बच रहा है तथा उनकी स्थिति अत्यंत दयनीय है, वन मंडलाधिकारी/अपर कलेक्टर, दंतेवाड़ा द्वारा बाली नागवंशी को देय 34 लाख रुपये की राशि के भुगतान पर रोक लगाने हेतु निषेधाज्ञा आदेश पारित करने का अनुरोध किया। इस पर याचिकाकर्ता ने वन मंडलाधिकारी/अपर कलेक्टर, दंतेवाड़ा द्वारा बाली नागवंशी को किए जा रहे 34 लाख रुपये के भुगतान पर रोक लगाने का आदेश पारित किया। तत्पश्चात बाली नागवंशी ने तत्काल आवेदिका अर्थात् अपनी पत्नी से संपर्क किया, उसके तथा अपनी पुत्री के साथ समझौता किया और उन्हें दिनांक 04-04-1995 को अपने घर ले आया। परिणामस्वरूप, श्रीमती चंद्रिका नागवंशी ने याचिकाकर्ता के समक्ष यह कहते हुए आवेदन प्रस्तुत किया कि प्रकरण में समझौता हो गया है और वह आवेदन का अभियोजन नहीं करना चाहती। श्रीमती चंद्रिका नागवंशी के आवेदन पर उक्त कार्यवाही समाप्त कर दी गई। दिनांक 04-04-1995 को बाली नागवंशी ने उत्तरवादी क्रमांक 2 अर्थात् मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष यह आरोप लगाते हुए शिकायत प्रस्तुत की कि अपर कलेक्टर, दंतेवाड़ा तथा वर्तमान याचिकाकर्ता एक ही ग्राम के निवासी एवं मित्र हैं तथा उससे अवैध रूप से धन प्राप्त करने के उद्देश्य से उन्होंने उसकी पत्नी से उक्त प्रकार का आवेदन प्रस्तुत करवाकर उसके साथ धोखाधड़ी की है और इसी कारण याचिकाकर्ता द्वारा निषेधाज्ञा आदेश पारित किया गया; जबकि उसकी पत्नी ने स्वेच्छा से कभी ऐसा आवेदन प्रस्तुत करना नहीं चाहा था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बस्तर ने उक्त शिकायत पर प्रारंभिक जांच की और दिनांक 23-08-1995 की रिपोर्ट के माध्यम से याचिकाकर्ता के विरुद्ध प्रथमदृष्टया तथ्य पाए। प्रारंभिक जांच के आधार पर उत्तरवादी क्रमांक 2 द्वारा याचिकाकर्ता के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गई तथा दिनांक 05-03-1997 के नोटिस के माध्यम से आरोप पत्र प्रदान किया गया। याचिकाकर्ता ने दिनांक 05-06-1997 को उत्तर प्रस्तुत कर आरोपों का खंडन किया। उस समय जिला न्यायाधीश (विजिलेंस) श्री पी. सी. मिश्रा को उत्तरवादी क्रमांक 2 द्वारा जांच अधिकारी नियुक्त किया गया। तत्समय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कांकेर को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त किया गया तथा वरिष्ठ जिला न्यायाधीश श्री आर. के. श्रीवास्तव को साक्षी बनाया गया। जांच के दौरान, याचिकाकर्ता द्वारा दायर श्रीमती चंद्रिका नागवंशी एवं अपर कलेक्टर, दंतेवाड़ा श्री सारथी के परीक्षण हेतु प्रस्तुत आवेदन को जांच अधिकारी द्वारा निरस्त कर दिया गया। यह आरोप लगाया गया कि जांच के दौरान, बाली नागवंशी के कथित श्रुतसाक्ष्य पर निर्भर रहते हुए, जांच अधिकारी द्वारा याचिकाकर्ता के विरुद्ध अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. जांच अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर, उत्तरवादी क्रमांक 2 द्वारा याचिकाकर्ता को सेवा से बर्खास्त किए जाने की संस्तुति उत्तरवादी क्रमांक 1 को की गई तथा उक्त आदेश द्वारा उत्तरवादी क्रमांक 1 ने याचिकाकर्ता को सेवा से बर्खास्त कर दिया। याचिकाकर्ता ने अपनी बर्खास्तगी के विरुद्ध दिनांक 24-06-1998 को उत्तरवादी क्रमांक 2 के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, किंतु उत्तरवादी क्रमांक 2 द्वारा बिना कोई कारण बताए दिनांक 21-08-1998 के आदेश से उक्त अभ्यावेदन निरस्त कर दिया गया। यह आरोप लगाया गया है कि जांच अधिकारी द्वारा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के प्रावधानों के अनुरूप याचिकाकर्ता के विरुद्ध जांच नहीं की गई तथा याचिकाकर्ता को समुचित सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान नहीं किया गया। उत्तरवादी क्रमांक 1 द्वारा दिनांक 12-11-1997 को जारी अधिसूचना के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के सदस्यों को सामान्यतः बिना प्रथम चेतावनी/ताड़ना दिए दंडित नहीं किया जाना चाहिए। उक्त अधिसूचना के आलोक में, उत्तरवादिगण का यह दायित्व था कि वे याचिकाकर्ता को स्वयं में सुधार का कम से कम एक अवसर अवश्य प्रदान करते।

6. प्रत्युत्तर शपथपत्र में, उत्तरवादी क्रमांक 2 ने समस्त प्रतिकूल आरोपों का खंडन करते हुए यह कहा है कि याचिकाकर्ता को सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान किया गया था; बाली नागवंशी द्वारा की गई शिकायत के आधार पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा प्रारंभिक जांच की गई; तत्पश्चात मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के अनुसार याचिकाकर्ता के

विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गई तथा याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर प्रदान किए जाने के पश्चात जांच अधिकारी द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। जांच अधिकारी की रिपोर्ट पर सम्यक विचारोपरांत, अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए याचिकाकर्ता को दंड अधिरोपित किए जाने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात, अनुशासनात्मक प्राधिकारी अर्थात् उत्तरवादी क्रमांक 2 द्वारा उत्तरवादी क्रमांक 1 को याचिकाकर्ता को सेवा से बर्खास्त किए जाने के रूप में प्रमुख दंड अधिरोपित किए जाने की संस्तुति की गई, जिस पर उत्तरवादी क्रमांक 1 द्वारा आक्षेपित आदेश पारित किया गया।

7. उत्तरवादी क्रमांक 3 द्वारा प्रारंभिक आपत्ति प्रस्तुत की गई है कि वर्तमान कार्यवाही विशुद्ध रूप से छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित नहीं है, अतः मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 83(1) के प्रकाश में यह याचिका छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के समक्ष पोषणीय नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा भी अपना प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया गया है तथा यह कहा गया है कि यद्यपि याचिकाकर्ता ने छत्तीसगढ़ राज्य को पक्षकार नहीं बनाया है, तथापि याचिकाकर्ता के दावे के अनुसार उसने उत्तरवादी क्रमांक 1 एवं 2 अर्थात् मध्यप्रदेश राज्य एवं मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के विरुद्ध ही अनुतोष की मांग की है, न कि छत्तीसगढ़ राज्य के विरुद्ध। अतः उत्तरवादी क्रमांक 3 की ओर से प्रस्तुत प्रारंभिक आपत्ति के प्रकाश में, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के समक्ष यह याचिका निरस्त किए जाने योग्य है।

9. उत्तरवादी क्रमांक 3 की ओर से प्रस्तुत प्रारंभिक आपत्ति के प्रत्युत्तर में, याचिकाकर्ता ने विशेष रूप से यह प्रस्तुत किया है कि संबंधित जांच के समय वह दंतेवाड़ा में पदस्थ था तथा सेवा से बर्खास्तगी भी दंतेवाड़ा में पदस्थापना के दौरान ही की गई। वह छत्तीसगढ़ राज्य का निवासी है और इसलिए यह कार्यवाही विशुद्ध रूप से छत्तीसगढ़ राज्य की क्षेत्राधिकार सीमा से संबंधित है। यह प्रकरण मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 83(1) के अनुसार मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय से स्थानांतरित होकर छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय को प्राप्त हुआ है तथा उक्त अधिनियम की धारा 83 के अंतर्गत इस न्यायालय को प्रकरण का निर्णय करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

10. यह उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश राज्य तथा मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार को स्वीकार किया गया है और कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है। साथ ही, यह प्रकरण मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय से स्थानांतरण पर प्राप्त हुआ है, जिसे उत्तरवादी क्रमांक 3 के अनुसार सक्षम क्षेत्राधिकार वाला न्यायालय बताया गया है।

11. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना, आक्षेपित आदेश का अवलोकन किया तथा विविध आपराधिक प्रकरण क्रमांक 8/95 से संबंधित आदेश पत्रकों की प्रतिलिपियाँ, जो याचिकाकर्ता द्वारा विचारित एवं निर्णीत की गई थीं, बाली नागवंशी द्वारा की गई शिकायत की प्रतिलिपि, याचिकाकर्ता के प्रारंभिक नियुक्ति आदेश की प्रतिलिपि, विभागीय कार्यवाही से संबंधित दस्तावेजों की प्रतिलिपियाँ एवं अन्य अभिलेखों का परीक्षण किया।

12. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री पी. एस. कोशी ने तर्क प्रस्तुत करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता एक न्यायिक अधिकारी के रूप में कार्यरत था तथा उसने न्यायिक कार्यवाही में आदेश पारित किया था, जो अपील एवं पुनरीक्षण का विषय था। अतः ऐसी न्यायिक कार्यवाही, जो अपील एवं पुनरीक्षण के अधीन हो, उसके संबंध में विभागीय कार्यवाही प्रारंभ करना सक्षम नहीं था तथा इस प्रकार अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारंभ कर उत्तरवादिगण ने अवैधानिकता की है। उत्तरवादिगण द्वारा याचिकाकर्ता को समुचित एवं पूर्ण सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया। उत्तरवादिगण याचिकाकर्ता के किसी विशिष्ट दुराचार को सिद्ध करने के लिए बाध्य थे। मात्र तथ्य की त्रुटि अथवा विधि की त्रुटि अपने आप में विभागीय कार्यवाही का विषय नहीं बन सकती, जब तक कि वह किसी बाह्य विचार अथवा दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य से प्रेरित होकर न की गई हो। जांच अधिकारी ने दिनांक 08-10-1997 की अपनी रिपोर्ट में विशेष रूप से यह अभिमत व्यक्त किया है कि याचिकाकर्ता द्वारा पारित आदेश अधिकार क्षेत्र के अभाव में था तथा याचिकाकर्ता ने बाली नागवंशी को परेशान करने के उद्देश्य से दुर्भावनापूर्ण आशय से आदेश पारित किया, किंतु यह निष्कर्ष नहीं निकाला गया कि याचिकाकर्ता ने किसी भ्रष्ट माध्यम से अथवा बाली नागवंशी से धन उगाही के अनुचित उद्देश्य से ऐसा निषेधाज्ञा आदेश पारित किया हो। अधिकार क्षेत्र के अभाव में अथवा अवैधानिक रूप से पारित आदेश मात्र अपने आप में किसी न्यायिक अधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही का आधार नहीं बन सकता। श्री पी. एस. कोशी ने आगे तर्क प्रस्तुत किया कि यद्यपि मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 (संक्षेप में 'नियम, 1966') के नियम 23 के अंतर्गत अपील का वैकल्पिक उपाय याचिकाकर्ता को उपलब्ध है, तथापि यह

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आधार कि आक्षेपित आदेश अवैधानिक एवं शून्य है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत दायर याचिका उच्च न्यायालय के समक्ष पोषणीय है।

13. श्री पी. एस. कोशी ने **जुंजाराव भीकाजी नगरकर बनाम भारत संघ एवं अन्य**[1] के प्रकरण पर अवलंभ लिया, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया है कि केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1965 के नियम 14 के अंतर्गत मात्र विधि की त्रुटि अथवा विधि की गलत व्याख्या, किसी अर्ध-न्यायिक प्राधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही प्रारंभ करने का आधार नहीं बन सकती। श्री कोशी ने **आगे रमेश चंदेर सिंह बनाम उच्च न्यायालय इलाहाबाद एवं अन्य**[2] के प्रकरण पर भी अवलंभ लिया, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अधीनस्थ न्यायपालिका के अधिकारियों के विरुद्ध केवल इस आधार पर विभागीय कार्यवाही प्रारंभ किए जाने को अनुचित ठहराया है कि उनके द्वारा पारित आदेश गलत थे, जबकि अपीलीय एवं पुनरीक्षण न्यायालय स्थापित हैं तथा उन्हें ऐसे आदेशों को निरस्त करने का अधिकार प्राप्त है। श्री पी. एस. कोशी ने **भारत संघ एवं अन्य बनाम प्रकाश कुमार टंडन**[3] के प्रकरण पर भी अवलंभ लिया, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया है कि महत्वपूर्ण साक्षियों का परीक्षण न किया जाना विभागीय कार्यवाही को दूषित कर देता है तथा जांच अधिकारी एक अर्ध-न्यायिक प्राधिकारी होता है, जिसे अपने कर्तव्यों का निर्वहन निष्पक्षता एवं युक्तिसंगत ढंग से करना चाहिए। श्री पी. एस. कोशी ने **जी.वल्लीकुमरी बनाम आंध्र एजुकेशन सोसायटी एवं अन्य**[4] के प्रकरण पर भी अवलंभ लिया। जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया है कि बिना कारण अंकित किए तथा मात्र जांच अधिकारी के निष्कर्षों का संदर्भ देकर किसी कर्मचारी को सेवा से पृथक किया जाना प्राकृतिक न्याय की परीक्षा पर खरा नहीं उतरता है तथा ऐसी कार्यवाही वैधानिक नियमों एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन के कारण दूषित होकर असंवहनीय हो जाती है। श्री पी. एस. कोशी ने आगे **डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर एवं अन्य बनाम मधुसूदन राव**[5] प्रकरण पर भी अवलंभ लिया, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा है कि अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अपील अथवा पुनरीक्षण की स्थिति में, अपीलीय/पुनरीक्षण प्राधिकारी का यह दायित्व होता है कि वह दंड की उपयुक्तता से संबंधित कुछ

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

[1] AIR 1999 SC 2881
[2] 2007 AIR SCW 2251
[3] (2009) 2 SCC 541
[4] (2010) 2 SCC 497
[5] 2008 AIR SCW 1365

कारण अवश्य अभिलिखित करे, भले ही वह निचले मंच द्वारा पारित आदेश की पुष्टि ही क्यों न कर रहा हो, न कि मात्र इस आधार पर अपील अथवा पुनरीक्षण को निरस्त कर दे कि निचले मंच द्वारा कोई अवैधानिकता नहीं की गई है।

14. उत्तरवादी क्रमांक 2 की विद्वान अधिवक्ता सुश्री शर्मिला सिंघई ने याचिका का विरोध करते हुए प्रस्तुत किया कि विभागीय कार्यवाही में याचिकाकर्ता को समुचित एवं पूर्ण सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया है। याचिकाकर्ता द्वारा किए गए गंभीर कदाचरण की शिकायत प्राप्त होने के पश्चात, उत्तरवादी क्रमांक 2 के निर्देश पर याचिकाकर्ता के विरुद्ध प्रारंभिक जांच की गई तथा याचिकाकर्ता के विरुद्ध रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत उसके विरुद्ध विभागीय जांच प्रारंभ की गई। जांच अधिकारी ने नियम, 1966 में निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन करने के पश्चात यह निष्कर्ष निकाला कि याचिकाकर्ता ने गंभीर दुराचार किया है। जांच अधिकारी की रिपोर्ट पर विचारोपरांत, अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा उक्त रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए याचिकाकर्ता के विरुद्ध प्रमुख दंड अधिरोपित किए जाने के संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया तथा याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात उत्तरवादी क्रमांक 2 द्वारा उत्तरवादी क्रमांक 1 को याचिकाकर्ता पर प्रमुख दंड अधिरोपित किए जाने की संस्तुति की गई। उत्तरवादी क्रमांक 2 की संस्तुति के आधार पर उत्तरवादी क्रमांक 1 द्वारा याचिकाकर्ता पर प्रमुख दंड अधिरोपित किया गया। नियम, 1966 के नियम 23 के अंतर्गत अपील का संपूर्ण एवं प्रभावी वैकल्पिक उपाय याचिकाकर्ता को उपलब्ध है। याचिकाकर्ता के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संपादित करने अथवा प्रमुख दंड आरोपित किए जाने हेतु राज्य शासन को संस्तुति करने में उत्तरवादिगण द्वारा कोई अवैधानिकता नहीं की गई है। राज्य शासन द्वारा भी उत्तरवादी क्रमांक 2 की संस्तुति को स्वीकार कर सेवा से बर्खास्तगी का आदेश पारित करने में कोई अवैधानिकता नहीं की गई है। किसी भी प्रकार की अवैधानिकता अथवा नियमों के उल्लंघन के अभाव में, भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत प्रस्तुत यह वर्तमान याचिका जो याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत की गई है वह पोषणीय नहीं है।

15. उत्तरवादी क्रमांक 2 की विद्वान अधिवक्ता सुश्री शर्मिला सिंघई ने **चेयरमैन–कम–मैनेजिंग डायरेक्टर कोल इंडिया लिमिटेड एवं अन्य बनाम मुकुल कुमार चौधुरी एवं अन्य**[6] प्रकरण पर अवलंभ लिया, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया है कि न्यायिक पुनरावलोकन के दौरान जांच अधिकारी के निष्कर्षों एवं उनकी वैधता की जांच करते समय उच्च

[6] (2009) 15 SCC 620

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

न्यायालय को अपीलीय न्यायालय के रूप में कार्य करते हुए जांच अधिकारी द्वारा अभिलिखित निष्कर्षों की पुनः समीक्षा कर अपने स्वतंत्र निष्कर्ष पर पहुंचने का अधिकार नहीं है। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति निर्णय के विरुद्ध नहीं, अपितु निर्णय-लेने की प्रक्रिया तक ही सीमित होती है। सुश्री सिंघई ने आगे **अरुंधति अशोक वालावलकर बनाम महाराष्ट्र राज्य**[7] प्रकरण पर भी अवलंभ लिया, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना है कि किसी न्यायाधीश द्वारा स्थानीय रेलगाड़ी में बिना टिकट तीन बार यात्रा करना तथा पहचान उजागर होने पर अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग करना, प्लेटफॉर्म पर अनावश्यक दृश्य उत्पन्न करना एवं रेलवे कर्मचारियों को धमकाना–ये सभी कृत्य एक न्यायिक अधिकारी के लिए अशोभनीय गंभीर कदाचरण की श्रेणी में आते हैं; अतः ऐसे आरोपों के परिप्रेक्ष्य में अनिवार्य सेवानिवृत्ति का दंड असंगत नहीं माना गया।

16. उत्तरवादी क्रमांक 3 के विद्वान अधिवक्ता श्री राजीव श्रीवास्तव ने भी याचिका का विरोध करते हुए निवेदन किया कि यह मामला विशुद्ध रूप से मध्यप्रदेश राज्य से संबंधित है तथा वाद कारण का कोई भी भाग छत्तीसगढ़ राज्य/छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में उत्पन्न नहीं हुआ है। अतः मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 83(1) के प्रावधानों के अंतर्गत इस न्यायालय के समक्ष लंबित याचिका पोषणीय नहीं है। श्री राजीव श्रीवास्तव ने आगे यह भी प्रस्तुत किया कि उत्तरवादी क्रमांक 2 द्वारा याचिकाकर्ता के विरुद्ध विभागीय जांच प्रारंभ की गई, उत्तरवादी क्रमांक 2 ने याचिकाकर्ता को सेवा से बर्खास्त किए जाने की संस्तुति उत्तरवादी क्रमांक 1 को की तथा उत्तरवादी क्रमांक 1 द्वारा बर्खास्तगी का आदेश पारित किया गया। अतः उत्तरवादी क्रमांक 3 के विरुद्ध याचिकाकर्ता को कोई अनुतोष प्रदान नहीं की जा सकती तथा उत्तरवादी क्रमांक 3 के विरुद्ध याचिका पोषणीय नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

17. श्री राजीव श्रीवास्तव ने *"**आर वी, एक न्यायिक अधिकारी**"*[8] के प्रकरण पर भी अवलंभ लिया गया, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया है कि यदि उच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश न्यायिक पक्ष पर किसी प्रकरण की सुनवाई के दौरान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की गई किसी अवैधानिकता अथवा दुराचार पर संज्ञान लेता है, तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का यह दायित्व होता है कि वह प्रकरण का गुण-दोष के आधार पर निस्तारण करे तथा अधीनस्थ न्यायालय के आचरण के संबंध में आलोचनात्मक टिप्पणियाँ अथवा अवलोकन करने से परहेज करे। किंतु संबंधित अधीनस्थ न्यायाधीश के आचरण का विवरण माननीय मुख्य न्यायाधीश के संज्ञान

[7] (2011) 11 SCC 324

[8] (2004) 7 SCC 729

में लाने हेतु पृथक रूप से आधिकारिक कार्यवाही प्रारंभ किया जाना आवश्यक है।श्री राजीव श्रीवास्तव ने आगे **डब्लू डब्लू जोशी एवं अन्य बनाम बॉम्बे राज्य एवं अन्य**[9] तथा **शंकर जयराम एवं अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य**[10] के प्रकरणों पर भी अवलंभ लिया, जिनमें बॉम्बे उच्च न्यायालय ने राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 (अधिनियम सं. 37 सन् 1956) की धाराओं 87, 88 एवं 116 के प्रावधानों पर विचार करते हुए यह प्रतिपादित किया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत सेवा समाप्ति के आदेश को चुनौती देने हेतु किसी शासकीय सेवक के लिए यह स्थापित करना पर्याप्त है कि उसकी सेवा समाप्ति का आदेश ऐसे स्थान पर पारित किया गया है, तथा जहाँ उसके परिणाम उस सेवा पर पड़े हों; अर्थात् वाद कारण उस स्थान पर उत्पन्न होगी जहाँ सेवा समाप्ति का आदेश पारित किया गया हो तथा उस स्थान पर भी जहाँ उसके दुष्परिणाम संबंधित सेवक पर पड़े हों।

18. याचिकाकर्ता को तत्कालीन मध्यप्रदेश राज्य द्वारा दिनांक 14-06-1990 के आदेश के माध्यम से सिविल जज वर्ग-II के पद पर नियुक्त किया गया था। उसे सिविल जज वर्ग-II एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, दंतेवाड़ा के पद पर पदस्थ किया गया तथा वह न्यायिक अधिकारी के रूप में कार्यरत था। बाली नागवंशी द्वारा दिनांक 04-04-1995 को की गई शिकायत के आधार पर, उत्तरवादी क्रमांक 2 के निर्देश पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जगदलपुर द्वारा याचिकाकर्ता के विरुद्ध प्रारंभिक जांच की गई। जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जगदलपुर ने याचिकाकर्ता के विरुद्ध प्रारंभिक जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया तथा उक्त प्रारंभिक जांच प्रतिवेदन के आधार पर उत्तरवादी क्रमांक 2, अर्थात् मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा याचिकाकर्ता के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गई। तत्पश्चात जिला न्यायाधीश (विजिलेंस) श्री पी.सी. मिश्रा को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया, जिन्होंने जांच सम्पन्न कर दिनांक 08-10-1997 को अपना प्रतिवेदन उत्तरवादी क्रमांक 2 को प्रस्तुत किया। उक्त प्रतिवेदन पर विधिवत विचारोपरांत उसे उत्तरवादी क्रमांक 2 द्वारा स्वीकार किया गया तथा याचिकाकर्ता को गंभीर दंड अधिरोपित किए जाने के संबंध में कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया। याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर प्रदान किए जाने के पश्चात्, उत्तरवादी क्रमांक 2 द्वारा उत्तरवादी क्रमांक 1 को याचिकाकर्ता पर प्रमुख दंड, अर्थात् सेवा से हटाए जाने की संस्तुति की गई। उत्तरवादी क्रमांक 2 द्वारा की गई उक्त संस्तुति के आधार पर उत्तरवादी क्रमांक 1 द्वारा याचिकाकर्ता को सेवा से हटाए जाने का आदेश 21/5/98 को पारित किया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

---

[9] AIR 1959 बॉम्बे 363
[10] AIR 1970 बॉम्बे 117

19. छत्तीसगढ़ राज्य, पूर्व में मध्यप्रदेश राज्य का भाग था। मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (क्रमांक 28 सन् 2000) दिनांक 1 नवम्बर, 2000 से प्रवर्तन में आया तथा छत्तीसगढ़ राज्य का गठन दिनांक 1-11-2000 को हुआ। वर्तमान याचिका भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत याचिकाकर्ता द्वारा मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष दिनांक 2-11-98 को प्रस्तुत की गई थी। पुनर्गठन तथा मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 83(1) के प्रावधानों के अनुसार नए राज्य छत्तीसगढ़ के गठन के पश्चात्, यह याचिका मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय से स्थानांतरित होकर इस उच्च न्यायालय को प्राप्त हुई है। अधिनियम, 2000 की धारा 30 की उपधारा (2) के अनुसार, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उनके समक्ष लंबित प्रकरण को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किए जाने का प्रमाण-पत्र जारी करने का अधिकार था। उत्तरवादी क्रमांक 3 द्वारा न तो मुख्य न्यायाधीश द्वारा जारी प्रमाण-पत्र को और न ही मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा पारित स्थानांतरण आदेश को चुनौती दी गई है। अतः, उत्तरवादी क्रमांक 3 के अधिवक्ता द्वारा किए गए निवेदन में मुझे कोई बल प्रतीत नहीं होता, तथा न ही बॉम्बे उच्च न्यायालय के **डब्लू .डब्लू. जोशी** प्रकरण (उपर्युक्त) एवं **शंकर जयराम** प्रकरण (उपर्युक्त), जिनका उल्लेख श्री राजीव श्रीवास्तव द्वारा किया गया है, के आधार पर वाद कारण वहाँ भी उत्पन्न होती है जहाँ परिणाम घटित होते हैं, जो कि इस प्रकरण में दंतेवाड़ा में हैं, जो वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

20. याचिकाकर्ता के विरुद्ध विभागीय जांच मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 (संक्षेप में 'नियम, 1966') के अंतर्गत संचालित की गई है। राज्य सरकार द्वारा पारित आदेश, नियम 23 के अंतर्गत अपीलयोग्य था। याचिकाकर्ता ने सक्षम प्राधिकारी के समक्ष कोई अपील प्रस्तुत नहीं की है और सीधे संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रिट जारी किए जाने हेतु याचिका प्रस्तुत की है। अतः यह विचारणीय है कि वैकल्पिक उपचार उपलब्ध होने के बावजूद यह याचिका सुनवाई योग्य है अथवा नहीं।

21. विधि के अंतर्गत उपलब्ध उपचार का उपभोग किए बिना अथवा वैकल्पिक उपचार का उपभोग किए बिना रिट याचिका की पोषणीयता के प्रश्न पर विचार करते हुए, उच्चतम न्यायालय ने **हिमाचल प्रदेश राज्य एवं अन्य बनाम गुजरात अंबुजा सीमेंट लिमिटेड एवं अन्य**[11] के मामले में यह प्रतिपादित किया है– कि वैधानिक उपचारों के पूर्ण उपयोग के सिद्धांत के दो सुविख्यात अपवाद हैं। प्रथम, जब कार्यवाही ऐसे विधि उपबंध के अंतर्गत किसी मंच के समक्ष की जाती है जो अल्ट्रा वायर्स (अधिकार क्षेत्र से परे) है, तब उससे आहत पक्षकार को यह अधिकार है कि वह

[11] (2005) 6 SCC 499

उच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाही को निरस्त किए जाने हेतु आवेदन करे, इस आधार पर कि उक्त कारवाही अधिकार क्षेत्र से परे हैं, और पक्षकार को तब तक प्रतीक्षा करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता जब तक कि कार्यवाही अपने पूर्ण क्रम तक न पहुँच जाएँ। द्वितीय, यह सिद्धांत तब लागू नहीं होता जब आक्षेपित आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन में पारित किया गया हो। उच्चतम न्यायालय ने यह भी विचार किया है कि जहाँ स्वयं कार्यवाही विधि प्रक्रिया का दुरुपयोग हो, वहाँ उपयुक्त प्रकरण में उच्च न्यायालय रिट याचिका पर विचार कर सकता है।

22. इसी प्रश्न पर विचार करते हुए, उच्चतम न्यायालय ने **हरबंसलाल साहनिया एवं अन्य बनाम इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड एवं अन्य**[12] के प्रकरण में यह प्रतिपादित किया है कि वैकल्पिक उपचार की उपलब्धता के कारण रिट अधिकारिता के बहिष्कार का नियम विवेकाधीन है, न कि बंधनकारी उपयुक्त प्रकरण में, वैकल्पिक उपचार उपलब्ध होने के बावजूद भी उच्च न्यायालय निम्नलिखित कम-से-कम तीन परिस्थितियों में अपनी रिट अधिकारिता का प्रयोग कर सकता है– (i) जहाँ रिट याचिका किसी भी मौलिक अधिकार के प्रवर्तन हेतु प्रस्तुत की गई हो; (ii) जहाँ प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ हो; अथवा (iii) जहाँ आदेश या कार्यवाही पूर्णतः अधिकार क्षेत्र से परे हो अथवा अधिनियम की वैधता (वायर्स) को चुनौती दी गई हो।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

23. वर्तमान प्रकरण में, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह निवेदन किया है कि याचिकाकर्ता न्यायिक अधिकारी के रूप में पदस्थ था तथा उसका आदेश अपील एवं पुनरीक्षण के अधीन था, अतः शिकायत करने वाले पक्षकार के लिए अपीलीय एवं पुनरीक्षणीय फोरम का उपचार उपलब्ध था और उसे उसी उपचार का सहारा लेना चाहिए था इस उपचार कि जगह। याचिकाकर्ता के अनुसार, न्यायिक पक्ष पर पारित आदेश न्यायिक कार्यवाही का विषय नहीं बन सकता था, अतः वह नियम, 1966 के अंतर्गत उपलब्ध उपचार को अपनाने अथवा समाप्त करने के लिए बाध्य नहीं था। जैसा कि उच्चतम न्यायालय ने **जूनजाराव भीकाजी** (उपर्युक्त) के मामले में कहा है, विधि की साधारण त्रुटि या विधि की गलत व्याख्या मात्र, अर्ध-न्यायिक प्राधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही प्रारंभ करने का आधार नहीं बन सकती।

24. **काशी नाथ राय बनाम बिहार राज्य**[13] के प्रकरण में, जहाँ एक न्यायिक अधिकारी के विरुद्ध की गई कठोर टिप्पणियों को हटाते हुए, उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय के कंडिका 7 में यह उल्लेखित किया कि-किसी न्यायाधीश द्वारा सहनीयता की सीमा से परे की गई त्रुटि मात्र, अधीनस्थ

[12] (2003) 2 SCC 107
[13] AIR 1996 SC 3240

न्यायाधीश पर निंदा आरोपित करने का आधार नहीं हो सकती, जब तक कि कोई अन्य बात या असाधारण परिस्थितियाँ विद्यमान न हों।

25. **रमेश चंदेर** के प्रकरण (उपर्युक्त) में, जहाँ अधीनस्थ न्यायपालिका के अधिकारियों के विरुद्ध केवल इस आधार पर विभागीय कार्यवाही प्रारंभ करने की प्रथा का अनुमोदन नहीं किया गया कि उनके द्वारा पारित आदेश त्रुटिपूर्ण हैं, उच्चतम न्यायालय ने कंडिका 17 में यह उल्लेखित किया है कि "अर्ध-न्यायिक प्राधिकारी द्वारा अधिकारिता का त्रुटिपूर्ण प्रयोग या विधि की भूल अथवा विधि की गलत व्याख्या, विभागीय कार्यवाही प्रारंभ करने का आधार नहीं बन सकती।" उच्चतम न्यायालय ने यह भी प्रतिपादित किया कि, निस्संदेह, यदि न्यायिक अधिकारी ने इस प्रकार आचरण किया हो जिससे उसकी प्रतिष्ठा, सत्यनिष्ठा या सद्भावना पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो, अथवा कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही या कदाचरण दर्शाने हेतु प्रथमदृष्टया सामग्री उपलब्ध हो, अथवा उसने किसी पक्ष को अनुचित लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से कार्य किया हो, अथवा भ्रष्ट हेतुक से प्रेरित होकर आदेश पारित किया हो, तो संविधान के अनुच्छेद 235 के अधीन उच्च न्यायालय अपनी पर्यवेक्षणीय अधिकारिता का प्रयोग कर सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

26. सामान्यतः, न्यायिक पक्ष पर किसी न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश को विभागीय जांच का विषय नहीं बनाया जाना चाहिए, जब तक कि उसने इस प्रकार आचरण न किया हो जिससे उसकी प्रतिष्ठा, सत्यनिष्ठा या सद्भावना पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो, अथवा कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही या वाद कदाचरण दर्शाने हेतु प्रथमदृष्टया सामग्री उपलब्ध हो, अथवा उसने किसी पक्ष को अनुचित रूप से लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से कार्य किया हो, अथवा भ्रष्ट उद्देश्य से प्रेरित होकर आदेश पारित किया हो, अथवा कोई अन्य असाधारण परिस्थिति विद्यमान न हो, अथवा आदेश बाह्य विचारों के आधार पर पारित किया गया हो।

27. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा किए गए निवेदन के अनुसार, विभागीय जांच प्रारंभ करने हेतु आवश्यक उपर्युक्त तत्व वर्तमान प्रकरण में विद्यमान नहीं हैं। अतः, अनुशासनिक प्राधिकारी, उस याचिकाकर्ता के विरुद्ध, जो न्यायिक अधिकारी के रूप में पदस्थ था और जिसने न्यायिक पक्ष पर आदेश पारित किया था, विभागीय जांच प्रारंभ करने के लिए सक्षम नहीं था। इस प्रकार का निवेदन कर, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने वैकल्पिक उपचार उपलब्ध होने के बावजूद इस रिट याचिका की पोषणीयता स्थापित करने का प्रयास किया है।

28. संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन रिट अधिकारिता का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय न तो वाद के तथ्यों की जाँच कर सकता है और न ही मामले की विवेचना कर सकता है। निर्विवाद

रूप से, शिकायतकर्ता बाली नागवंशी को देय ₹34,000/- के भुगतान से संबंधित विषय अतिरिक्त कलेक्टर/वन मंडलाधिकारी, दंतेवाड़ा के समक्ष लंबित था तथा उक्त भुगतान याचिकाकर्ता द्वारा न्यायिक आदेश पारित किए जाने से रोक दिया गया। तत्पश्चात् याचिकाकर्ता के विरुद्ध यह आरोप लगाते हुए शिकायत प्रस्तुत की गई कि याचिकाकर्ता एवं अतिरिक्त कलेक्टर/प्रभागीय वन मंडलाधिकारी ने शिकायतकर्ता से देय ₹34,00,000/- के वितरण के मामले में धन उगाही करने हेतु आपस में मिलीभगत से कार्य किया। अतः संक्षेप में आरोप यह है कि याचिकाकर्ता ने अपने पद का दुरुपयोग किया तथा ऐसे विचारों के आधार पर न्यायिक आदेश पारित किए जो बाह्य थे और उसके समक्ष विचाराधीन विषय के निर्णय के लिए सुसंगत नहीं थे, तथा विधि द्वारा प्रदत्त अधिकार क्षेत्र की सीमा से परे जाकर किसी परोक्ष उद्देश्य से कार्य किया। प्रारंभिक जांच में भी याचिकाकर्ता के विरुद्ध लगाए गए आरोपों में सत्यता एवं ठोस आधार पाया गया।

29. विभागीय जांच के आधार पर सक्षम प्राधिकारी/नियोक्ता द्वारा आक्षेपित आदेश पारित किया गया है, जो अधिकार क्षेत्र से रहित नहीं कहा जा सकता। भ्रष्ट उद्देश्य से प्रेरित होकर कार्य करने के आरोप, जो निस्संदेह प्रतिष्ठा, सत्यनिष्ठा एवं सद्भावना पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं, के आधार पर विभागीय जांच प्रारंभ करना न केवल अनुशासनिक प्राधिकारी की अधिकारिता के भीतर है, अपितु यह **रमेश चंदेर** (उपर्युक्त) के प्रकरण में न्यायिक अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारंभ करने हेतु निर्धारित कसौटी को भी संतुष्ट करता है, जिसमें यह कहा गया है कि "यदि न्यायिक अधिकारी ने ऐसा आचरण किया हो जिससे उसकी प्रतिष्ठा, सत्यनिष्ठा या सद्भावना पर प्रभाव पड़ता हो, अथवा कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही या कदाचरण दर्शाने हेतु प्रथमदृष्टया सामग्री उपलब्ध हो, अथवा उसने किसी पक्ष को अनुचित लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से कार्य किया हो, अथवा भ्रष्ट उद्देश्य से प्रेरित होकर आदेश पारित किया हो, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अधीन उच्च न्यायालय अपनी पर्यवेक्षणीय अधिकारिता का प्रयोग कर सकता है।" इसके अतिरिक्त, प्रारंभिक जांच में आरोपों पर प्रथमदृष्टया दृष्टि डालने के पश्चात् विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गई है, अतः यह नहीं कहा जा सकता कि विभागीय कार्यवाही निराधार आधारों पर प्रारंभ की गई है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

30. यह उल्लेखनीय है कि याचिकाकर्ता ने यह आधार नहीं लिया है कि उसके द्वारा न्यायिक कार्यवाही में पारित आदेश अपील एवं पुनरीक्षण के अधीन था, अतः ऐसे न्यायिक आदेश के विरुद्ध, जो अपील एवं पुनरीक्षण के अधीन था, विभागीय कार्यवाही करना अनुशासनिक प्राधिकारी/जांच अधिकारी की अधिकारिता के भीतर नहीं था; और न ही याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में ऐसा कोई आधार लिया है।

31. **हरबंस लाल साहनिया**(उपर्युक्त) तथा **गुजरात अंबुजा**(उपर्युक्त) के प्रकरणों में उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों के आलोक में, मैं यह पाता हूँ कि याचिकाकर्ता द्वारा किसी भी मौलिक अधिकार के प्रवर्तन की प्रार्थना नहीं की गई है तथा अनुशासनिक प्राधिकारी के समक्ष कार्यवाही पूर्णतः अधिकार क्षेत्र से परे नहीं थी तथा नियमों का आधार एवं उनकी शक्ति मंसा को भी चुनौती नहीं दी गई है। याचिकाकर्ता यह प्रदर्शित करने में असफल रहा है कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ है। याचिकाकर्ता यह भी प्रदर्शित करने में असफल रहा है कि वैकल्पिक वैधानिक उपचार का उपयोग किए जाने में विधि प्रक्रिया का कोई दुरुपयोग हुआ है।

32. अतः, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन रिट याचिका पर विचार किए जाने हेतु अपेक्षित किसी भी तत्व के अभाव में, वैकल्पिक उपचार उपलब्ध होने के बावजूद याचिकाकर्ता की ओर से प्रस्तुत यह रिट याचिका पोषणीय नहीं है तथा ख़ारिज किए जाने योग्य है। तदनुसार, यह याचिका निरस्त की जाती है। तथापि, याचिकाकर्ता विधि के अधीन उसे उपलब्ध वैधानिक उपचार का सहारा लेने के लिए स्वतंत्र होगा। यदि याचिकाकर्ता ऐसा उपचार ग्रहण करता है, तो इस प्रकरण में दी गई निष्कर्ष, अपील का निर्णय उसके गुण-दोष के आधार पर किए जाने में बाधक नहीं होंगी। व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जाता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही

(टी. पी. शर्मा)

न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By: Adv. Astha Sharma